

पं. क्र.

श्री. विद्यालय अंतर्गत,
अनु. सचिवा,
उत्तर प्रदेश शासन।

9

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19, रॉयल विंगर अंजली रोड,
दरिधा गंज,
नई दिल्ली।

शिक्षा 1171 अनु-भाग

लक्ष्य दिनांक 1 अक्टूबर, 1989

विषय- दयावती मोदी एकाडमी मोदीपुर, रामपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का भिक्षा हुआ है कि दयावती मोदी एकाडमी मोदीपुर,
रामपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए
जाने में इस राज्य सरकार को विभिन्न शिक्षा प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपत्ति
नहीं है :-

I. सामान्य प्रतिबन्ध

- 1. विद्यार्थी की प्रथमता सन्धि में निश्चित विद्यार्थी द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2. विद्यार्थी में कम से कम 10 प्रतिशत स्थानों के लिए और विद्यार्थी आय वर्ग के बच्चों के लिए शर्तों का रखना तथा उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/विशेष शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्रों के विभिन्न शर्तों के लिए निर्धारित गुल्म से अधिक गुल्म नहीं लिया जायेगा।
- 3. संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4. संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्राधिकृत होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर वर्ग/विभागों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शर्तों/शर्तों को अनुसंधान विभागों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 5. राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

(6) Principal

DAYAWATI MODI ACADEMY
MORPUR-244926, Rampur (U.P.)

Manager

DAYAWATI MODI ACADEMY
MORPUR, RAMPUR-244926

121 विनोद प्रतिबन्ध

- 111 विद्यालय की प्रबन्ध समिति रनि.ईई नीनी तथा अन्य-समय पर नियमनुसार उत्तम नवीनीकरण की व्यवस्था करेगा।
- 121 विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विद्याय 25, दो प्रयोगशाला तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
- 131 कक्षा-रिक्तों को जैसा शर्तें दगाहूनी जायेगी और उन्हें तदायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-रिक्तों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 141 विद्यालय का वेला-योगा विचारित प्रमाणों/विचारों में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य हैना। वि. वि. में अन्य उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा शुद्ध प्रकृता "आपस्ति प्रमाण-पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भायतीय,

निरजा शंकर मिश्र
अनु. सचिव

संख्या- 2419111/15-1171-89-631441/88

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ-पत्र-कार्यालयी हेतु प्रेषित-

- 11 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, वि. वि. वि. कार्यालय, लखनऊ।
- 12 मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 13 प्रबन्धक, दयावती गोदी सहायणी गोदीपुर, रामपुर।
- 14 निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उदपुर, लखनऊ।
- 15 शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।

आशा है,

निरजा शंकर मिश्र
अनु. सचिव

Manager

Dayawati Modi Academy
Mod.pur, Rampur (U.P.)

Principal

DAYAWATI MODI ACADEMY
Modipur-244926, Rampur (U.P.)

DAYAWATI MODI ACADEMY
RAMPUR, RAMPUR-244901